संक्षिप्त

आर्थिक सहायता सौंपी

मंडावरी, (निसं)। कृषि उपज मंडी में मजदूरी का कार्य करने वाले मजदूर राधेश्याम गुर्जर निवासी खेड़ली की आकस्मिक मृत्यु के बाद मजदूर यूनियन व व्यापार मंडल द्वारा मिलकर एकत्र की गई करीब 51 हजार रुपए की सहयोग राशि को मृतक मजदूर परिवार के परिजनों को निवास पहुंचकर प्रदान की गई। मृतक मजदूर के पीड़ित परिजनों को इस संकट के समय में मजदूर यूनियन पल्लेदार संघ के अध्यक्ष ललित मोहन मीणा उपाध्यक्ष कमलेश सैनी बबलू सैनी रमेश सैनी रूप सिंह गुर्जर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रसाद प्रमोद मीणा आदि की मौजूदगी में व कृषि उपज मंडी समिति के व्यापार मंडल के सहयोग से जन सरोकार की भावना के तहत सामाजिक सरोकार के तहत नगद राशि सहायतार्थ सौंपी गई।

गणेशजी को निमंत्रण दिया

चाकसू, (निसं)। कुमावत समाज की ओर से श्रीक्षत्रिय कुमावत समाज विवाह समिति चाकसू के नेतृत्व में 29 अप्रेल जानकी नवमी को समाज के चतुर्थ विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समाज के 11 जोड़ों का सामूहिक पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया जाएगा।

निसर्ग चौधरी ने नाम रोशन किया

खैरथल, (निसं)। स्थानीय इंद्रा हैप्पी स्कूल के पूर्व छात्र निसर्ग चौधरी ने भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित ए. आर. ओ. परीक्षा में चयनित होकर खैरथल जिले सहित अपने परिवार का नाम रोशन किया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भोमिया महाराज के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

नारायणपुर, (निसं)। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनवास कांकड़ में बुधवार को भोमिया जी महाराज का 20वां मेला आयोजित हुआ। मेले के दौरान सुबह से मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

श्रद्धालुओं ने भोमिया महाराज की पूजा अर्चना और प्रसाद चढ़ाकर मन्नौती मांगी, घर में सुख शांति की कामना की। स्थानीय कलाकार रोशन लाल एण्ड पार्टी द्वारा दिनभर भजनों की प्रस्तुती दी गई। शाम को आयोजित कुश्ती दंगल में जिले सहित अन्य प्रदेश के पहलवानों ने भाग लिया। कुश्ती दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा रही व ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मेले में आयोजित भण्डारे में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। मुख्यातिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ.रोहिताश शर्मा ने भी भोमिया महाराज के धोक देकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने पूर्व मंत्री का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य व्यक्ति को वोट देकर जिताएं। भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव भी मेले में पहुंचे। इस मौके पर सरपंच गणेश जाट, मेला कमेटी अध्यक्ष बनवारी लाल प्रजापत, कोषाध्यक्ष दीपसिंह राघव, एबीडीओ गिर्राज मीणा, श्योराम रोलाण, राजू शर्मा, महेश शर्मा, जगदीश मीणा, पंचायत समिति सदस्य रेखा मीणा, श्रवण मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

मेले में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

जेवरात व नकदी से भरा बैग पार

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के पुरानी नगरपालिका तिराहे पर बुधवार दोपहर करीब 4.30 बजे एक स्कोर्पियो गाड़ी में रखा नकदी व जेवरात से भरा बैग अज्ञात चोरों द्वारा पार कर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ग्राम करवास निवासी मदन लाल पुत्र जगदीश प्रसाद प्रजापत के पुत्र की शादी आगामी 29 अप्रैल को है। शादी समारोह के लिए बुधवार दोपहर कपड़े व जेवरात आदि की खरीददारी के लिए स्कोर्पियो गाड़ी द्वारा कोटपूतली आया था।

यहां दो मंगलसूत्र, 2 चांदी के सटके खरीदकर बैग में 1 लाख 50 हजार रुपयों की नकदी के साथ रखकर पुरानी नगरपालिका तिराहे पर गाड़ी में बैठा था। वहीं एक रिश्तेदार के आने पर गाड़ी से उतरकर पीछे की साईड जाकर बातचीत करने लगा। इसके 5 मिनट बाद आकर देखा तो गाड़ी में से नकदी व जेवरात से भरा बैग गायब था। जिसके लिए आस पास पूछताछ की तो बैग का कोई पता नहीं चला। जिसे अज्ञात चोर गाड़ी में से चोरी करके ले गए। बैग में 1 लाख 50 हजार रुपयों की नकदी के अलावा करीब 70 हजार रुपयों के जेवरात भी थे। चोरी की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आश्वासन के बाद अनशन समाप्त

नरेना, (निसं)। कस्बे के वार्ड पार्षदों व कस्बेवासियों द्वारा बुधवार को किया गया क्रमिक अनशन आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हुआ। पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं सहित 31 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ड पार्षदों और कस्बेवासियों द्वारा मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना दिया गया था। बुधवार को पार्षदों व कस्बेवासी क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन का पता चलते ही अधिकरी मौके पर पहुंचे और की 31 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन देकर अनशन को समाप्त कराया।

आम सूचना दिनांक-19-4-2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण 1-मांगी लाल पुत्र लल्लूराम, 2-संतोष पुत्र लल्लू, रामबाबू पुत्र स्व. नानू, जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासीयान ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज.) द्वारा आराजी भूमि खसरा नम्बर 577/5 रकबा 0.2068 हैक्टेयर खसरा नम्बर 578/5 रकबा 0.1062 हैक्टेयर खसरा नम्बर 582/12 रकबा 0.0755 हैक्टेयर खसरा नम्बर 583/12 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587/6 रकबा 0.0470 हैक्टेयर खसरा नम्बर 586/6 रकबा 0.0216 हैक्टेयर खसरा नम्बर 589/6 रकबा 0.0820 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-9 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, कुल कित 8 कुल रकबा 0.6591 हैक्टेयर स्थित ग्राम अखैपुरा, पटवार हल्का हरमाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर जिसमें मेरे अभिभाष्य क्रम-1 का 1229/6591 हिस्सा, क्रम-2 का 1648/6591 का सौदा जरिये नवीन इकरारनामा दिनांक 19-8-2022 को श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री हरिनारायण सैनी, जाति माली, निवासी ढाणी शिवजी वाली, ग्राम आकेडा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.) से किया गया था, लेकिन महेश कुमार सैनी द्वारा इकरारनामें की शर्तों के मुताबिक बकाया विक्रय प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण मेरे अभिभाष्यगण ने उक्त सौदा निरस्त कर दिया है, अब मेरे अभिभाष्य उक्त आराजी के अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार से हस्तांतरित करने, बेचान करने आदि के लिये पूर्णतया स्वतंत्र है, यदि कोई भी व्यक्ति महेश कुमार सैनी से उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो वह मेरे अभिभाष्यग के अधिकारों के आगे शून्य व निष्प्रभावी होगा, अतः सूचित रहे।

जयपुर /दिनांक-19-4-23 (शमशेर पठान) एडवोकेट, मो.नं.9928370876

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण राघव दास सिंघल पुत्र श्री विष्णु अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पत्नी श्री विष्णु अग्रवाल, दोनों जाति महाजन निवासीगण मकान नंबर-722 विद्याधर का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर राज.द्वारा अनुज बिन्दल पुत्र श्री विचित्र कुमार बिन्दल, जाति वैश्य, आयु 42 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर सी-55, निर्माण नगर-सी, जयपुर-राज.से उनके स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय प्लॉट संख्या सी-55, योजना निर्माण नगर-सी, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 155.55 वर्गगज है, को क्रय करने का इकरार किया है। यदि किसी को उक्त प्लॉट नंबर सी-55 को विक्रय किये जाने के लिए किये गये क्रय इकरार बाबत् कोई आपत्ति या उज्र हो तो मुझे 0.5 दिन के अन्दर लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि गुजरने के पश्चात कोई आपत्ति या उज्र उक्त सम्पत्ति बाबत् मान्य नहीं होगा और यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जायेगा तो मेरे अभिभाष्यगण के अधिकारों के प्रति शून्य व निष्प्रभावी होगा। सूचित रहे।

(श्रीराम अग्रवाल) एडवोकेट, मो.नं. 9828115876

सूचना "सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार समिति की योजना करणी विहार, मथुरावाला, जयपुर का भुखण्ड सं. आर-214-ए क्षेत्रफल 189.00 व.ग.समिति के पूर्व पदाधिकारियों एवं संयोजक द्वारा श्री कैलाश चन्द्र सैनी पुत्र श्री सुरजा करण सैनी निवासी जयपुर राज.को जारी कर मौके पर भौतिक कब्जा सम्भला दिया गया था। उपरोक्त सदस्य द्वारा पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर शहर (पश्चिम) राज. के गुमशुदगी रजिस्ट्रर क्रमांक 76/23 दिनांक 15.04.2023 में गुमशुदगी दर्ज कराकर शपथपत्र प्रस्तुत किये है कि उनका मूल आवंटनपत्र, रसीद व साईड प्लान गुम हो गये है अतः डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी किया जावे। सदस्य द्वारा पूर्व पदाधिकारियों द्वारा उक्त भुखण्ड को पूर्व में हस्तान्तरण करवा दिया गया हो तो समिति के वर्तमान में उपलब्ध रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पूर्व जिम्मेदारी सदस्य की होगी। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था आदि को कोई एतराज हो तो समिति कार्यालय में 15 दिन के अन्दर सुचित करें। बाद गुजरने मियाद समिति द्वारा उपरोक्त भुखण्ड का डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर दिया जायेगा, जिसके बाद उपरोक्त भुखण्ड का मूल आवंटनपत्र रद्द माना जावेगा एवं पूर्व में किये गये कोई भी बेचान, रहन, बक्शीश आदि के लिए उपरोक्त सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त प्रस्तुत सूचना के लिए उपरोक्त सदस्य अपने स्तर पर जिम्मेदार होगा एवं समिति की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही किसी वाद विवाद के लिए उत्तरदायी होगी।"

मंत्री भैरव गृह निर्माण स.स.लि.197 सुभाष कालोनी शास्त्री नगर जयपुर

सदस्य से प्रकाशन करवाने की राशि प्रकाशन पूर्व प्राप्त करे।

मंत्री/संयोजक, भैरव गृह निर्माण, स.स.लि.

आम सूचना दिनांक-19-4-2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 1682 पूर्व एवं उत्तर-मुखी पैमायश 32x32 फीट, स्थित भैरूजी की गली, जयलाल मुन्शी का रास्ता, चौकडी पुरानी बस्ती, जयपुर जिसका सिटी सर्वे रिकार्ड सम्वत 2002 में खसरा नम्बर 4206, 4206 (क) 4207 है, शेख अलफु पुत्र खुदा बक्श एवं सुलतान हुसैन पुत्र शेख अलफु ने दिनांक 16.02.1902 के लिखे दिनांक 17.02.1902 को रजि.के लिए पेश, दिनांक 11.10.1902 को रजिस्टर्ड रहननामा द्वारा रहन रखा। इसके बाद श्रीमती नाथी पुत्री छोटू पत्नी सुलतान एवं वली मोहम्मद पुत्र सुल्तान पौत्र अलफु ने दिनांक 21.11.1939 को लिखे, दिनांक 29.11.1939 को पेश हुए तथा दिनांक 08.03.1940 को रजिस्टर्ड रहननामा द्वारा मोहाबक्श पुत्र खैरू को रहन कर दिया। दिनांक 04.03.1948 को मोहम्मद पुत्र सुल्तान खाँ ने रहन छुडवा लिया। शेख अलफु, सुल्तान हुसैन उर्फ सुल्तान खाँ, श्रीमती नाथी का देहान्त हो गया। श्री सुल्तान खाँ ने तीन पुत्र वली मोहम्मद, अब्दुल गफूर उर्फ गफूर अली, मोहम्मद उर्फ महमुद का भी देहान्त हो गया। श्री अब्दुल गफूर उर्फ गफूर अली पुत्र सुल्तान खाँ के दो पुत्र अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार अली एवं अब्दुल सत्तार हुऐ। अब्दुल जब्बार एव अब्दुल सत्तार का भी देहान्त हो गया है। इसके कोई पुत्र-पुत्री पैदा नहीं हुई। श्रीमती बुन्दो बेगम, श्री अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार अली की विधवा पत्नी है। श्रीमती बुन्दो बेगम के अलावा अन्य कोई भी वारिस जिन्दा नहीं है। उक्त म.नं.-1682 का मालिक नहीं है। श्रीमती बुन्दो बेगम उक्त वर्णित मकान नम्बर 1682 बक्शीश कर रही है। किसी को आपत्ति हो, तो पन्द्रह दिन में बताये, अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट

दिनांक-19/4/2023 मो.नं.-8824515124

नवजात बच्ची को पालना गृह में छोड़ा

टोंक, (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह के पालना गृह में निर्दयी मां अपनी दो दिन की नवजात बच्ची को लावारिश हालत में छोड़ गई। जिसका पता लगने के बाद बुधवार को सुबह एहतियात के तौर इसे उसे जनाना अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हेमराज चौधरी ने बताया कि जनाना अस्पताल के पास ही राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह है। सरकार की ओर से इसके गेट के पास सुरक्षित तरीके से दो साल पहले पालना गृह बनाया हुआ है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकना है। कोई भी व्यक्ति अनचाहे नवजात की पहचान बताए बिना इसमें रख सकता है। इसी दौरान बुधवार सुबह करीब सात बजे डेली चेकिंग के दौरान नवजात दिखा। बाद में उसे पालना गृह से किशोर गृह के कोर्डिनेटर हरीश वर्मा, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खान के निर्देशन में बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हेमराज चौधरी व सदस्य शैफाली जैन, शाहिन हबीब, गौरव मधुकर, संजय कांटिया ने बालक को स्वास्थ्य शिशु गृह टोंक में देखभाल संरक्षण के लिए सौंपा। साथ ही निर्देश दिए कि बालक का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए थाना प्रभारी को सूचित करने को कहा। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र छोलक ने बताया कि बच्ची की तबियत ठीक है।

प्रवास कार्यक्रम आयोजित

बहरोड़/मुंडावर, (निसं)। भाजपा अलवर उत्तर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा के नेतृत्व में बूथ एवं शक्ति केंद्र संरचना को लेकर मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के नीमराना, जाट बहरोड़ और ततारपुर में पूर्वकेन्द्र प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कार्यकर्ताओं के घर जाकर संगठनात्मक चर्चा करते हुए भाजपा की महिला कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की। केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने की पूरी जानकारी दी। महिला मोर्चा अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष चित्रा शर्मा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के महिला विरोधी रवैए से परेशान महिला शक्ति गहलोत सरकार को चुनाव में वोट की चोट से हराकर पोल खोलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि वोट की चोट से राजस्थान की महिला शक्ति आने वाले 2023- 24 के चुनाव में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाएंगी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष समयलता यादव, कविता योगी एवं ममता सोनी द्वारा की गई।

हत्या के मामले में 13 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार

■ चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है

फुलेरा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू दिनेश शर्मा एवं वृताधिकारी सांभरलेक लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में फुलेरा थानाधिकारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई।

थानाधिकारी हनुमान सहाय ने बताया कि टीम ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए इमरान खान पुत्र लाल मोहम्मद मर्डर केस में 13 माह से फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी मनदीप उर्फ मनजा उर्फ मनु पुत्र सुदर्शन सिंह जाति राजपूत निवासी बस स्टैण्ड के पास राजपूत मौहल्ला बापोडा थाना क्षेत्र भिवानी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में और भी कई मामले दर्ज है। जबकि इस पूरे मामले में अब तक चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। फुलेरा थाना क्षेत्र के गोरधनपुरा में 13 मार्च 2022 को स्थानीय निवासी इमरान खान पुत्र लाल मोहम्मद जाति सांई मुसलमान उम्र 35 वर्ष पर फायर कर बदमाश फरार हो गये। जिस पर घायल इमरान को हॉस्पिटल पहुंचाया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना के संबंध में मृतक इमरान के पिता लाल मोहम्मद ने थाने में मामला दर्ज करवाया। जिस पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले विवेक सैनी, खेम चन्द सैनी उर्फ बन्टी, नवीन गढवाल, भरपूर सिंह को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका। मृतक इमरान खान आरोपीगण की पैतृक भूमि में कॉलोनी काटने बाबत जमीन के सौदे को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद के चलते इमरान खान की विवेक व उसके साथियों द्वारा हत्या की गई।

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 95/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि ताज मोहम्मद पुत्र श्री बहादुर खां निवासी बस स्टैण्ड मुकाम पोस्ट अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मुस्लिम शाह समाज विकास ट्रस्ट बस स्टैण्ड, मुकाम पोस्ट, अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 30.06.2023

मोहर अदालत

रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनिरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई–निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र. सं. 1. निविदा संख्या/कार्य का नाम:** इंजी./जय/2023–24/16(S); उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय जगतपुरा में 36 महीने के लिए 50 केएलडी क्षमता के सीवेज जल उपचार संयंत्र का संचालन और रखरखाव। **अनुमानित लागत:** 1819765/– **बिड प्रतिभूति राशि:** 36400.00/–; **क्र.सं. 2. निविदा संख्या/कार्य का नाम:** इंजी./जय/2023–24/17(S); जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास रेल निकुंज अधिकारी कालोनी (36 यूनिट टाईप IV व 36 यूनिट टाईप V मल्टी स्टोरी फ्लैट विथ इत्यादि) व नई स्टाफ कालोनी 216 मल्टी स्टोरी फ्लैट (72 यूनिट टाईप II, 108 यूनिट टाईप III व 36 यूनिट टाईप IV) में सिविल एसेट्स/सिस्टम का रखरखाव व संचालन हेतु तकनिकी सर्विस का प्रावधान और बागवानी कार्य का रखरखाव करने का प्रावधान अवधि 24 माह के लिए। **अनुमानित लागत:** 8923226/– **बिड प्रतिभूति राशि:** 178500.00/–; 1. उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड–मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। 2. निविदा इंजी./जय/2023–24/16(S) से इंजी./जय/2023–24/17(S) तक की बन्द होने की तिथि 12.05.2023 समय 15.30 बजे एवं खुलने की तिथि 12.05.2023 समय 16.00 बजे। **408-AN/23**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया

फागी, (निसं)। कस्बे के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर ,पारसनाथ जैन मंदिर , चंद्रप्रभु नसिया, त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर, तथा कस्बे के सभी जिनालयों सहित परिक्षेत्र के चकवाड़ा, चोरू, नारेड़ा, मंडावरी, मेहंदवास, निमेड़ा, लदाना, के जिनालयों में जैन धर्म के 21 वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया गया।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री राकेश शर्मा** का आकस्मिक निधन दिनांक 18.04.2023 को हो गया है, जिनकी तीये की बैठक दिनांक 20.04.2023 संध्या 5.00 से 6.00 बजे निवास स्थान प्लाट नं.26, देव नगर-II, गुजरो की ढाणी, जयसिंहपूराखोर में होगी।

शोकाकुल- राधा शर्मा (धर्मपत्नी), सुरेश शर्मा (भ्राता), किशोर- सविता, प्रदीप- जयन्ति (पुत्र- पुत्रवधु), सौरभ (पौत्र), दीक्षा- मधुसूदन (पुत्री- दामाद), रूद्रांश (दोहिता) एवं समस्त शर्मा परिवार

8058091201, 8302645648

हमारे पूजनीय पिताजी **श्री गोरीलाल जी मीणा** (मेवाल) का स्वर्गवास दिनांक 18.4.23 को हो गया। तीये की बैठक 20.4.23 गुरुवार को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे हमारे निवास स्थान मेवालो की ढाणी श्यामपुर बुहारियां मैन वाटिका रोड रिंग रोड के पास रखी गई है।

शोकाकुल- हरीराम (हरिओम मेवाल) अध्यक्ष- मंडल वाटिका कांग्रेस अध्यक्ष- रा.आ.मीणा सेवा संघ श्रीराम की नागल ईकाई वाटिका रोड- प्रभुनारायण, जगदीशप्रसाद, कानाराम, धन्नालाल, कैलाश, गैदीलाल, रामस्वरूप, सीताराम, गोपाल, रामबक्स, रामलाल, छेटू लालाराम, रामनारायण, रतनलाल (पुत्र) राहुल, निखिल, रामखिलाड़ी, (पौत्र) समस्त मेवाल परिवार। फर्म- हरिओम सैनेटरी एण्ड इलेक्ट्रिकल्स फिटिंग वाटिका

9414995224, 9314879960, 9602966678

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्यनीय पिताजी **श्री राजेन्द्रसिंह महला** पुत्र श्री ताराचंद का स्वर्गवास 18/4/23 को हो गया है। तीये की बैठक 20/4/23 को सांय 5 से 6 बजे जैन मंदिर, सत्कार शोपिंग सेन्टर, मालवीय नगर पर होगी।

शोकाकुल- सुनीतादेवी (धर्मपत्नी), वीरेन्द्रसिंह-सरोज (पुत्र-पुत्रवधु), इन्द्रराज सिंह महला (चाचाजी), धर्मपाल, सुरेश, मनफुल (भ्राता), अभिमन्यु, पुनीत, राकेश, नरेश, सात्विक, कार्तिक (भतीजे), एवं समस्त महला परिवार- 9829400712

एक माह में फैक्ट्री बंद करने की सहमति बनी

लालसोट, (निसं)। नगर पालिका के वार्ड 19 स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री को हटाने को लेकर दो पक्षों में तनातनी के बाद पैदा हुए तनाव के बीच बुधवार को तहसीलदार मदनलाल मीणा की अध्यक्षता में एवं अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी व कनिष्ठ अभियंता बस राम मीणा की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सुलह वार्ता कराई गई। इस फैक्ट्री मामले में दोनों पक्षों के बीच हुई सुलह वार्ता में फैक्ट्री को बंद कराने को लेकर सहमति बनी। अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने बताया कि वार्ड 19 में प्लास्टिक फैक्ट्री को हटाने को लेकर एक पक्ष द्वारा शिकायत की गई थी। वहीं नगर पालिका दस्ते द्वारा फैक्ट्री को वार्ड वासियों द्वारा शिकायत करने के बाद सील करने पहुंची नगरपालिका की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं दो पक्षों के आपसी टकराव को देखते हुए बुधवार को नगर पालिका सभागार में दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक में फैसला हुआ कि फैक्ट्री में जो अभी मौजूदा सामान बचा हुआ है उसके निस्तारण के साथ एक माह के अंदर फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा।

नगरपालिका चेयरमैन सोनी को बधाई देने का दौर जारी

नवलकिशोर सोनी का चेयरमैन बनने पर अभिनंदन किया।

सांभरझील, (निसं)। नगरपालिका सांभर के पूर्व वाइस चेयरमैन नवलकिशोर सोनी को चेयरमैन के रिक्त पड़े पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर उन्हें अधिकृत किए जाने तथा उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनके चाहने वालों व अनेक जनप्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर शुभकामनाएं दी तथा उनका साफा वह माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व वाइस चेयरमैन विजय प्रजापत, पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मेंद्र जोपट, कांग्रेस आईटी सेल के जाकिर रंगरेज, पार्षद वकार यूनुस, पार्षद रोबिन बंजारा, मनोनीत पार्षद भगवती प्रसाद गौड, अल्पसंख्यक समुदाय के अब्दुल हमीद कादिर, बन्नाराम ढलवाल, पार्षद पति किशनलाल कुमावत, पार्षद पति प्रेमचंद सैनी, भाजयुमो अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी, बरकतुल्लाह खान, अशोक सोनी, सत्यनारायण स्वामी, सहित अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान सांभर नगरपालिका के तीन पूर्व वाइस चेयरमैन का एक साथ होना लोगों में चर्चित रहा।

जल जीवन मिशन की कार्यशाला आयोजित

■ जनता को पानी पिलाना नेक काम, इसे जिम्मेदारी और समय से पूरा करें: कर्नल राज्यवर्धन

पावटा, (निसं)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण की 12 पंचायत समितियों में जल जीवन मिशन की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत बुधवार को पंचायत समिति पावटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें सांसद कर्नल राज्यवर्धन भी पहुंचे।

कार्यशाला के दौरान पूर्व विधायक डॉ. फूलचंद भिंडा, पावटा प्रधान पूजा चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, विकास अधिकारी राकेश वर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, कोटपुतली भाजपा नेता मुकेश गोयल, यादराम जांगल, जिला पार्षद भोमाराम गुर्जर तेजपाल धनवाडिया सहित विशाल सक्सेना एक्सईएन जलदाय, एईएन शिशुपाल, जेईएन गगन गुर्जर व क्षेत्रीय सरपंच, प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्यों, पूर्व विधायक, भाजपा प्रत्याशीयों ने जल जीवन मिशन योजना में आ रही समस्याओं से सांसद व अधिकारियों को अवगत करवाया।

कर्नल राज्यवर्धन ने जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र में धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा प्रदेश में भीषण गर्मी आ रही है, पानी की कमी के कारण जनता और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों व सरपंचों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर काम नहीं होने से आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड रहा है। कर्नल राज्यवर्धन ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा क्षेत्र में हजारों ट्यूबवैल खोदे गए जिनमें से कई सारे फैल हो गए। ये मत सोचिए की काम समाप्त हो गया इनके फैल होने के कारणों की जांच की जाऐगी और दोषी अधिकारियों पर सत से सत कार्यवाही की जाऐगी। यह पैसा जनता और सरकार का है, इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है जो काम किए जा रहें है उन कार्यो की गुणवत्ता की जांच की जाऐगी, काम में कमी या अधूरा काम या अनियमितता पाई जाऐगी तो सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। वहीं उन्होंने कहां कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्तवपूर्ण योजना खास तौर से राजस्थान में नल से हर घर में जल पहुंचे जल जीवन मिशन योजना के लिए राजस्थान में 27 हजार करोड की राशि दे चुके हैं लेकिन अफसोस है कि राज्य सरकार केवल 5 हजार करोड़ ही खर्च कर पाई है।

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 97/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थीया श्रीमति अनिता झा पत्नी श्री रविन्द्र निवासी 191/331, प्रताप नगर, सैक्टर-19, सांगानेर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मैथिल आगन ट्रस्ट 11/536, मालवीय नगर जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 30.06.2023

मोहर अदालत

रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

खण्डन आम सूचना

ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तह.जयपुर जिला जयपुर में भूमि खसरा नं. 22/323 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसके बैचान का अनुबंध दिनांक 4.1.2006 ईस्वी को ही काबिज व अधिकारी श्री श्याम लाल खेडवाल पुत्र श्री नोरंगलाल जी खेडवाल निवासी चौहानों के कुंए के पास (शीतला स्कूल के पास) चूणा चौक फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान द्वारा मेरे अभिभाष्य श्री औमप्रकाश शर्मापुत्र श्री मदन लाल जी शर्मा निवासी 7 कल्याण नगर-प्रथम, मोरानी मोटर्स के पीछे, टोंक रोड जयपुर के हित मे किया गया था और भागिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी और उसी के अनुक्रम में उक्त भूमि का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 3.11.2022 ईस्वी को निर्णय पारित हो जाने के उपरान्त इकरारनामा दिनांक 04.01.2006 ईस्वी को यथावत प्रभावी करार देते हुए मेरे अभिभाष्य के हित में दिनांक 29.11.2022 ईस्वी को लिखकर निष्पादित कर दिया था और तत् समय भी उक्त विक्रेता श्री श्याम लाल खेडवाल द्वारा मेरे अभिभाष्य से सहमति अनुसार भागिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी । जो कि इकरारनमा नोटेरी पब्लिक द्वारा अपने रजि . में दर्ज किया जाकर विधिवत् अनुप्रमाणित किया गया था इस प्रकार उक्त भूमि मेरे अभिभाष्य के हित में उक्त श्री श्याम लाल खेडवाल द्वारा विधिवत् बैचान से अनुबंधित है परिणमतः मेरे अभिभाष्य सहित उनके पुत्र दीपक शर्मा के हित मे उक्त भूमि के बैचान आदि की लिखा-पढी कानूनन प्रभावी व मान्य है एवं तयशुदा शर्तो अनुसार मेरा अभिभाष्य उक्त भूमि का विक्रय पत्र अपने हित में पंजीकृत कराने का कानूनन अधिकारी है। किन्तु उक्त श्री श्याम लाल खेडवाल की नियत में खोट व बईमानी आ जाने के कारण से मेरे अभिभाष्य को उसके विधिक हितों एवं अधिकारों से वंचित व विफल करने के इरादे से उक्त भूमि के बाबत् मेरे अभिभाष्य के हित में लिखित व निष्पादित इकरारनामा, मुख्त्यारनामा व श्री दीपक शर्मा के हित मे लिखित व निष्पादित वसीयतनामा को निरस्त कराये जाने की झूठी व भ्रामक सूचना का प्रकाशन अपने अधिवक्ता श्री जय कोशिक एडवोकेट के मार्फत् दैनिक भास्कर, फतेहपुर संस्करण में दिनांक 18.4.2023 ईस्वी को कराया है। जो कि उक्त सूचना पूर्णतया मिथ्या व भ्रामक है जिसका मेरे अभिभाष्य द्वारा सिरे से खण्डन किया जाता है साथ ही उक्त भूमि सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग को कोई भी व्यक्ति कम्पनी आदि खरीद फरोख्त का संव्यवहार नहीं करें अन्यथा ऐसा कृत्य आपराधिक व गैर कानूनी होने के साथ ही मेरे अभिभाष्य के विधिक हितों एवं अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व आमन्य होगा। कृपया सूचित रहें।

LAWYER -N.S " ADITYA-SHIVANSH" RAJ.
HIGH COURT JAIPUR Mob. No. 9785105424

प्रारूप-10, नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं.-नपाला/23/339 दिनांक-19/4/23

(1) सीताराम मीना दत्तक पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी तालेडा जमात, लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	90 क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 4144/210 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में से 19 बिस्वा खसरा नं. 4145/210 रकबा 8 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नं. 4148/215 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 19 बिस्वा खसरा नं. 4158/220 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा नं. 4161/221 रकबा 16 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा नं. 4162/221 रकबा 15 बिस्वा सम्पूर्ण	6 बीघा 19 बिस्वा
			कुल किता 6, कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा में से 6 बीघा 19 बिस्वा	6 बीघा 19 बिस्वा

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.4.23 को जारी की जाती है।

(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

झालावाड़ रोड़ शाखा, कोटड़ी चौराहा, कोटा-324007 (राजस्थान)
फोन नं.: 0744-2391880, 2391087, 2391330, ई-मेल: kotraj@bankofbaroda.co.in

मांग सूचना–सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों एवं जमानतदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौटकर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

ऋणियों एवं जमानतदारों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/बंधक सम्पत्ति का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
श्रीमती भारती वर्मा पुत्री श्री घनश्याम वर्मा सामुदायिक भवन के पास, नगर निगम कॉलोनी, छावनी, कोटा, राजस्थान 324007 **श्रीमती भारती वर्मा पुत्री श्री घनश्याम वर्मा** प्रोपराईटर मैसर्स हर्ष इन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 2, वाई नं. 3, कोटा बूंदी बावडी, बूंदी रोड़, बडगांव के पास, कोटा, राजस्थान 324008 **जमानतदार:** **(1) श्रीमती लाड बाई वर्मा पत्नी श्री घनश्याम वर्मा** **(2) श्री घनश्याम वर्मा पुत्र श्री किशन लाल** सामुदायिक भवन के पास, नगर निगम कॉलोनी, छावनी, कोटा, राजस्थान 324007	श्रीमती लाड वर्मा पत्नी श्री घनश्याम वर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय प्लॉट जो ए-45, अभिनव विहार, सरकारी स्कूल के पिछे, गांव बजड़ोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। **सीमाएं-** पूर्वः प्लॉट नं. ए-46, पश्चिमः प्लॉट नं. ए-44, उत्तरः प्लॉट नं. ए-52, दक्षिणः रोड	22.03.2023 **गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक** 28.09.2022	दिनांक 21.03.2023 को बकाया राशि रू. 6,14,207.35 (रूपये छह लाख चौदह हजार दो सौ सात एवं पैसे पैंतीस मात्र) प्लस दिनांक 22.03.2023 से ब्याज प्लस लागत प्लस अन्य खर्चे।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों/जमानतदारों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं/जमानतदारों को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों/जमानतदारों को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता/ प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।

कर्जदारों/जमानतदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 19.04.2023
स्थानः कोटा

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी

विनम्र श्रद्धांजलि

बत्तीसवीं पुण्यतिथि 20 अप्रैल, 2023 छठी पुण्यतिथि

स्व. श्री जम्बू कुमार जैन

स्व. श्री निर्मल कुमार जैन

परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी।
परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी।
आपकी संघर्षमयी छवि, हमारी प्रेरणा का है आधार।

श्रद्धावनत

समस्त इन्द्रलाल शास्त्री परिवार

पिंकसिटी एडवरटाईजिंग कं. प्रा. लि.